

162

क्रमांक 12/44/92-2 जी० सी० I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागध्यक्ष ।
2. अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डलों के आयुक्त तथा राज्यों के सभी उपायुक्त एवं मण्डल अधिकारी (नागरिक)
दिनांक, चण्डीगढ़, 8-9-93 ।

विषय : - पूर्ण साक्षरता अभियान के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लीव स्वीकृत करना ।

महोदय,

मुझे इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 12/44/92-2 जी० एस० I दिनांक 5-1-93 जिसमें कर्म-
की डिप्यूटी लीव दिए जाने का उल्लेख किया गया था की ओर आपका ध्यान दिलाते हुये यह कहने का निर्देश हुआ
कई विभागों से डिप्यूटी लीव के बारे में तरह-तरह के प्रश्न उठाए गए हैं । इस बिन्दु का निरीक्षण किया गया है अ
निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाएं भारत ज्ञान विज्ञान समिति/जिला साक्षरता समितियों को सौंप
और वह कर्मचारी जितनी देर वहां काम करें उनको उस अवधि को सरकारी डिप्यूटी ही माना जाये न कि डिप्यूटी
अवधि कितनी होनी चाहिए इसके बारे में विभाग स्वयं निर्णय लें ।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इन हिदायतों की एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी विस्तारयुक्त आयुक्तों एवं सचिवों को
एवं अगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा सरकार के सभी विस्तारयुक्त/आयुक्त एवं सचिव ।

अशा : क्रमांक 12/44/92-2 जी० एस० I
क्रमांक 12/44/92-2 जी० एस० I

दिनांक 8-9-1993
दिनांक 8-9-1993

एक एक प्रति सभा बाडों/नियमों के प्रमुख निर्देशकों/मुख्य प्रशासकों का अगामी आवश्यक क
हेतु प्रेषित है ।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 12/44/92-2 जी० एस० 1

दिनांक चण्डीगढ़ 8-9-1993.

इसकी एक प्रति प्रधान, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, हरियाणा, रोहतक को इस विभाग के उक्त स
पत्र के संदर्भ में सूचनाएँ प्रेषित है ।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।